

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक 15 मई, 2018

विषय: वर्ष 2018 में सूखा हेतु कार्य योजना बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष्य में सूखा एक मुख्य आपदा है। सूखा धीरे-धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमें निपटने का काफी समय प्रदान करता है परन्तु जल का उचित प्रबन्धन न होने के कारण समय के साथ इसका प्रभाव बढ़ता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है। मानसून अवधि में कम वर्षा होने की स्थिति में सूखे की स्थिति सम्भावित होती है, जिससे जायद एवं खरीफ की फसलों के लिये सिंचाई, मनुष्यों के लिये पेयजल और विभिन्न बीमारियों तथा पशुओं हेतु पेयजल एवं चारे के साथ-साथ विभिन्न बीमारियों का संकट भी उत्पन्न हो सकता है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए तत्काल जनपद की सूखा प्रबन्ध योजना तैयार करने की आवश्यकता है, जिससे कि सूखा की स्थिति उत्पन्न होने पर बिना किसी विलम्ब के उसका पूर्ण तैयारी के साथ सामना किया जा सके एवं जन-सामान्य को न्यूनतम असुविधा हो। सूखे का सामना दो तरह से किया जाता है, प्रथम दीर्घकालिक योजना बनाकर तथा द्वितीय तात्कालिक उपायों से राहत प्रदान करके सूखा का प्रभाव कम किया जा सकता है। सूखे के प्रभाव को कम करने के लिये निम्न दीर्घकालिक योजनाओं का अनुपालन किये जाने का प्रयास किया जाय:-

1. वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
2. पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
3. पानी के परम्परागत स्रोतों का पुर्नजीवीकरण।
4. अवकमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
5. पानी के संग्रहण एवं भू-कूपों का पुर्नभरण।
6. मिट्टी व नमी का संरक्षण।
7. अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
8. फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
9. फसलों में फव्वारा पद्धति का विकास करके जलसंरक्षण को बढ़ावा देना।
10. कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।

11. स्वयं सहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।
 12. सघन वनीकरण अभियान चलाना व पौध रोपण को बढ़ावा देना।
2. सूखा प्रबन्ध योजना बनाने में आपके स्वयं के अनुभव, विभागों की दक्षता के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों के व्यवहारिक ज्ञान एवं अनुभव का सदुपयोग किया जाना लाभप्रद होगा। सूखा कार्ययोजना बनाते समय अन्य विवरणों के साथ निम्न बिन्दुओं को अवश्य सम्मिलित किया जाय:-
1. जनपद के सूखा प्रवण क्षेत्र का चिन्हांकन व तत्संबंधी पूर्ण विवरण यथा-जनसंख्या, क्षेत्रफल इत्यादि।
 2. सूखा की स्थिति का सतत अनुश्रवण की योजना।
 3. सूखा हेतु बचाव, न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी योजना।
 4. सूखा की स्थिति उत्पन्न होने पर राहत कार्य योजना/काइसिस मैनेजमेंट प्लान।
 5. सूखा प्रबन्धन हेतु विभागीय अधिकारियों एवं स्टैकहोल्डर्स की क्षमता वृद्धि की कार्ययोजना।
 6. सूखा के न्यूनीकरण व प्रबन्धन हेतु जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों की कार्ययोजनायें।
 7. विभिन्न विभागों द्वारा बनाई गयी सूखा प्रबंधन कार्ययोजनाओं को विभाग की स्कीम/परियोजनाओं/मुख्य कार्यों के साथ मेनस्ट्रीम किया जाना।

अतः तत्काल इस कार्य हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला आपदा राहत समिति की बैठक आयोजित कर ली जाये। बैठक में प्रबन्ध योजना के सभी प्रमुख बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा कर उसे अन्तिम रूप दिया जाये। जनपद की अद्यतन सूखा प्रबन्ध योजना की एक प्रति शासन के राजस्व अनुभाग-11 को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय।

3. यद्यपि प्रत्येक जनपद को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं एवं संसाधनों के आधार पर प्राथमिकताएं चिन्हित करनी होगी, तथापि कतिपय सामान्य बिन्दु जो प्रत्येक जनपद के लिए सुसंगत हैं, को विभागवार नीचे इंगित किया जा रहा है, इन पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए :-

पंचायतीराज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/नगर विकास विभाग

- पेयजल की सभी स्रोतों/संसाधनों की उचित मरम्मत एवं पूर्ण उपयोग हेतु तैयार करना।
- खराब नलकूपों को समय से मरम्मत सुनिश्चित करना।
- पेयजल के कुओं को आवश्यकतानुसार गहरा कराना।
- पशुओं के पेयजल हेतु सिंचाई विभाग की नहरो/नलकूपों/निजी नलकूपों के माध्यम से तालाब एवं पोखरों के भरवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- खेतिहर मजदूरों एवं अन्य जरूरतमन्द लोगो को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

ऊर्जा विभाग

- खराब ट्रांसफार्मर निर्धारित अवधि में बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- रोस्टर के अनुसार निर्धारित समय में निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना।

सिंचाई विभाग

- सिंचाई के सभी संसाधनों/सरकारी नलकूपों के चालू स्थिति में रखना।
- नहरों के रोस्टर के अनुसार चलाये जाने की व्यवस्था।
- नहरों की अवैध कटान पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था।

चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग

- मनुष्यों को लू संक्रामक रोगों एवं महामारियों से बचाने के लिए आवश्यक निषेधात्मक व्यवस्था एवं सघन चिकित्सीय व्यवस्था।
- महामारियों से नियन्त्रण हेतु वांछित दवाओं को चिन्हांकन करके समुचित स्टॉक की व्यवस्था।

पशुधन विभाग

- पशुओं के चारे के अभाव की स्थिति से निपटने हेतु कार्ययोजना तैयार करना।
- पशु चिकित्सालयों में पशुओं के उपचार के संसाधन एवं दवाओं की समुचित व्यवस्था।
- महामारी के नियन्त्रण हेतु दवाओं का चिन्हांकन करके समुचित स्टॉक की व्यवस्था।

खाद्य एवं रसद विभाग/राज्य पोषण मिशन/बाल विकास एवं पुष्टाहार

- आकस्मिकता हेतु आवश्यक खाद्यान्न एवं उपभोक्ता वस्तुओं की व्यवस्था की योजना।
- कुपोषण की स्थिति से निपटने हेतु कार्ययोजना।

कृषि विभाग/उद्यान विभाग

- मृदा में नमी संरक्षण के उपायों का प्रचार प्रसार करना।
 - वैकल्पिक फसलों के साथ खाद्य एवं बीज के प्रबन्ध की व्यवस्था।
 - फसलों में रोग बचाव हेतु कीटनाशक दवाओं की समुचित व्यवस्था।
- उक्त कार्य संबंधित विभागों के बजट से ही कराये जाने चाहिये।

4. आप अवगत हैं कि आपदा राहत निधि का उपयोग विभागीय योजनाओं के संवर्धन, विस्तार या अनुरक्षण के लिए नहीं किया जा सकता है। आपदा आ जाने की स्थिति में निर्धारित मदों में ही आपदा राहत निधि से धनराशि व्यय करने की अनुमति है। संभावित आपदा से बचाव के लिए धनराशि व्यय करना अनुमति नहीं है।

5. वर्षा के अभाव में आजीविका के लिए मजदूरी पर आश्रित खेतिहर मजदूरों की समस्या के निदान हेतु सर्वप्रथम मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

6. ग्रीष्म ऋतु में सूखे पदार्थों की अधिकता के कारण आग लगने की सम्भावनाओं में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे जीवन, आवास, पशु और फसल की हानि होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि अग्निकाण्ड न्यूनीकरण हेतु आम लोगों को जागरूक बनाया जाये एवं आवश्यकता पड़ने पर अग्निशमन सेवाओं का तत्काल उपयोग हो सके इसकी व्यवस्था पहले से ही कर ली जाए। अग्निकाण्ड (दैवीय आपदा) प्रभावित व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानक दिनोंक 08.4.2015 के अनुसार समय से राहत सहायता उपलब्ध करायी जाये।
7. समय से पर्याप्त वर्षा न होने अर्थात् सूखे की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में इसका जायद एवं खरीफ की फसलों पर पड़ रहे प्रभाव की पूर्ण सतर्कता के साथ सतत् समीक्षा की जाये। इस कार्य में कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों का विशेषज्ञ परामर्श एवं सहयोग भी प्राप्त किया जाए। जनपद में अवर्षण के कारण खरीफ की फसलों की क्षति के सम्बन्ध में दिनांक 30 जून, 10 जुलाई, 25 जुलाई एवं 31 जुलाई को निर्धारित प्रारूप पर फसलवार विवरण उपलब्ध कराया जाये।
8. पेयजल, विद्युत आपूर्ति, महामारी आदि के सम्बन्ध में दिनांक 25 मई, 2018 से 31 अगस्त, 2018 तक संलग्न प्रारूप पर सूचना प्रत्येक सोमवार को सचिव एवं राहत आयुक्त की ईमेल rahat@nic.in पर उपलब्ध कराई जाये।

भवदीय,
(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव ।
o/c

संख्या-243 (1)/1-11-2018-4(जी)/18, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित सूखे की प्रबन्ध योजना तैयार कराकर क्रियान्वयन करने हेतु सभी सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश जारी करके उसकी प्रति राजस्व अनुभाग-11 को (सम्बन्धित विभाग के समन्वय अधिकारी के नाम/पदनाम टेलीफोन नम्बर सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

12. अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
14. प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश शासन।
15. मिशन निदेशक, राज्य पोषण मिशन।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव ।

oll

संख्या-243(2)/1-11-2018-4(जी)/18, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
12. राजस्व अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Shyam
(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

oll

संख्या-243(3)/1-11-2018-4(जी)/18, तददिनांक

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।

आज्ञा से,

Shyam
(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

oll

सूखा मॉनिटरिंग हेतु साप्ताहिक रिपोर्ट

(प्रत्येक सोमवार अपरान्ह 1.00 बजे तक राज्य कंट्रोल रूम को email- rahat@nic.in या फ़ैक्स नं० 0522-2236305 / 2238084 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।)

नोट- रिपोर्ट के प्रेषण के समय संग्रहित सूचना की समीक्षा जिला स्तरीय सम्बन्धित विभाग की सूचनाओं से मिलान करके इन्द्राज किया जाय।

जनपद का नाम : रिपोर्ट की तिथि :

- विद्युत आपूर्ति (घण्टों में) -
 - जिला मुख्यालय -
 - ग्रामीण क्षेत्र -
 - कुल ट्रांसफार्मर की संख्या -
 - खराब ट्रांसफार्मर की संख्या -
 - ऊर्जीकरण हेतु अवशेष नलकूपों की स्थिति -
- डीजल की उपलब्धता की स्थिति -
- नहरों की स्थिति (सिंचाई विभाग से संयुक्त समीक्षा उपरान्त वास्तविक स्थिति) -
 - कुल टेलों की संख्या -
 - जिन टेलों पर पानी नहीं पहुँचा उनकी संख्या -
 - जनपद में स्थापित पम्प कैनाल की संख्या-
 - जनपद में स्थापित पम्प कैनाल की संख्या जो संचालित नहीं हैं-
 - ऐसे पम्प कैनाल की संख्या जो संचालित तो हैं पर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं हैं-
- हैण्ड पम्पों/सरकारी नलकूपों की स्थिति -

क्र. सं.	मद	जनपद में कुल संख्या	स्थायी रूप से खराब की संख्या	मरम्मत योग्य		अभ्युक्ति
				15 दिन से कम खराब की संख्या	15 दिन से अधिक खराब की संख्या	
1	हैण्डपम्प (ग्रामीण क्षेत्र)					
	हैण्डपम्प (शहरी क्षेत्र/स्थानीय निकाय)					
2	सरकारी नलकूप (पेयजल) (ग्रामीण क्षेत्र)					
	सरकारी नलकूप (पेयजल) (शहरी क्षेत्र/स्थानीय निकाय)					
3	सरकारी नलकूप (सिंचाई)					

7. हैण्डपम्प-

मद	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र/स्थानीय निकाय	अभ्युक्ति
जनपद में रिबोर कराये जाने वाले हैण्डपम्प की संख्या			
उक्त के लिये आवश्यक धनराशि (लाख रु० में)			
जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि (लाख रु० में)			

अब तक रिबोर कराये गये हैंडपम्प की संख्या			
रिबोर कराने हेतु अवशेष हैंडपम्प की संख्या			

पेयजल-

- (क) पेयजल समस्या से ग्रस्त आबादियों की संख्या (प्रभावित ग्रामों, नगरीय इलाकों को सम्मिलित करें)-
- (ख) कुल आबादियों की संख्या जहां टैंकर्स लगाये गये हैं-
- (ग) लगाये गये कुल टैंकर्स की संख्या-
- (घ) पेयजल उपलब्धता के संबंध में जिले स्तर पर की गयी अन्य कार्यवाही-
9. तालाबों/जलाशय में पानी की स्थिति (पंचायती राज विभाग/सिंचाई विभाग)-
- (क) जनपद में तालाब/जलाशय की संख्या -
- (ख) जनपद में जल से भरे/भराये गये तालाब/जलाशय की संख्या-
- (ग) जनपद में सूखे तालाब/जलाशय की संख्या-
- (घ) ऐसे ग्रामों की संख्या जहाँ तालाब/जलाशय नहीं हैं अथवा भरे हुये नहीं हैं-
10. कूपों की स्थिति -
- (अ) जनपद में कुल कूपों की संख्या-
- (ब) पेयजल/सिंचाई हेतु प्रयोज्य कूपों की संख्या -
- (स) निष्प्रयोज्य कूपों की संख्या-
11. पशुओं हेतु चारा व पानी की स्थिति -
- (क) संचालित पशु राहत कैम्पों की कुल संख्या-
- (ख) राहत कैम्पों में लाभन्वित पशुओं की कुल संख्या-
- (ग) जनपद में चारे की स्थिति -
- (घ) पशुओं हेतु पीने के पानी से समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या व उसके सापेक्ष कृत कार्यवाही का विवरण-

1. रोजगार कार्यों का विवरण -

क. सं.	विवरण	रोजगार कार्यों की संख्या	कुल सृजित मानव दिवस की संख्या
(क)	मनरेगा योजना		
(ख)	रोजगार सृजन की अन्य योजनाएं		

2. जनपद में खरीफ फसल की बोवाई की स्थिति -

क. सं.	विवरण	धान	उरद	अरहर	बाजरा	मूंग	तिल	अन्य
1	लक्ष्य (लाख हे०)							
2	बोया गया क्षेत्रफल (लाख हे०)							
3	अवर्षण के कारण 33 प्रतिशत से अधिक प्रभावित फसल (लाख हे०)							